ग्राम पंचायत हार जलाड़ी, विकास खण्ड कांगड़ा, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176308 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत हार जलाड़ी, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राज कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जीत कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विकास वर्मा	01/04/2022 से 02/10/2022
2.	श्री राजन वालिया	03/10/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री संगीत कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.11
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	13.92
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.64
4.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान अनियमित भुगतान पाया जाना	7.65
5.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.98
6.	8.3	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	6.09
7.	8.4	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.10
8.	8.5	आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.15
9.	8.6	आपूर्तिकर्ता को पार्क एवं व्यायामशाला हेतु उपकरणों के क्रय हेतु निविदा अनुसार अनुमोदित दर से अधिक दर पर अतिरिक्त / अनियमित भुगतान का पाया जाना	2.08
10.	8.7	वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण हेतु क्रय पौधों का हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की पौधों की बिक्री हेतु अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त / अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.49

11.	8.8	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	0.47
12.	10.4	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.05

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत हार जलाड़ी का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

1. **अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 तक**

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1	3	निर्णीत
2	4.1	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
3	5.1	अनिर्णीत
4	5.2	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
5	7	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
6	8	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
7	9	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
8	10	अनिर्णीत
9	11	अनिर्णीत
10	12	अनिर्णीत
11	13	अनिर्णीत
12	14	अनिर्णीत
13	15	अनिर्णीत
14	16	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
15	17	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी, विकास खण्ड काँगड़ा, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/234 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29.08.2024 से 05.09.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	11/2022	03/2023
2023-24	09/2023	02/2024

<u>**अस्वीकरण (Disclaimer):**</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 08/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 66 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति:-**

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 23/2024 दिनांक 29.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	35837.27	117280.67	153117.94	79157.61	73960.33
2023-24	73960.33	79198.00	153158.33	58885.04	94273.29

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	1832135.93	5365732.00	7197867.93	4251627.13	2946240.80
2023-24	2946240.80	2169300.93	5115541.73	3723523.93	1392017.80

कुल योग (1+2) = 94273.29 + 1392017.80 = **1486291.09**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार शेष **₹14,86,291.09** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹14,75,472.09** **(परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष दिनांक 31.03.24 को
1	सभा निधि (Own Source) व 5वां राज्य वित्त (5th SFC)	KCCB कांगड़ा	20033027050	188998.44
2	सभा निधि (Own Source),	UBI दौलतपुर	498102010008827	167156.39

	विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY) व स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LDP)			
3	14 वां वित्त आयोग (14th FC)	UBI दौलतपुर	498102010008081	0.00
4	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	HDFC कांगड़ा	50100365024220	1119317.26
5	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 को कुल योग :			1475472.09
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति/पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-			**₹14,86,291.09**
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष:-			**₹14,75,472.09**
	अंतर :-			**₹10,819.00**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.11 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार **₹10,819.00** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/हार जलाड़ी दिनांक 04.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 64 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण

को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अन्तर के कारणों के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 स्कीमवार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता एवं एक से अधिक बैंक खाता खोलने संबंधी आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1	सभा निधि (Own Source) व 5वां राज्य वित्त (5th SFC)	KCCB कांगड़ा	20033027050
2	सभा निधि (Own Source), विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY) व स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LDP)	UBI दौलतपुर	498102010008827

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि (Own Source), 5वां राज्य वित्त (5th SFC), विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY) और स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LDP) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/हार जलाड़ी दिनांक 04.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 64 दिनांक 05.09.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सभा निधि (Own Source), 5वां राज्य वित्त (5th SFC), विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY) और स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LDP) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के वित्तीय वर्ष 2023-24 की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/हार जलाड़ी दिनांक 04.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 64 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त

निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/हार जलाड़ी दिनांक 04.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 64 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में वस्तुस्थिति, नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹13.92 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 23/2024 दिनांक 29.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - "ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 13,92,017.80** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/हार जलाड़ी दिनांक 04.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 64 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.64 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/हार जलाड़ी दिनांक 30.08.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 59 दिनांक 31.08.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण है व पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹63,580.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - "घ"** पर संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है । संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/हार जलाड़ी दिनांक 04.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 64 दिनांक 05.09.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की मांग व संग्रहण पंजिका को पूर्ण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की नियम प्रावधानों के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹ 7.65 लाख के अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/हार जलाड़ी दिनांक 02.09.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 62 दिनांक 03.09.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार एवं व्यय हेतु चयनित माह 03/2023 व 02/2024 के बिल एवं वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाये परंतु ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों के अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न

विवरणानुसार **₹ 7,65,359.98** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹7,65,359.98** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित जिला खनन अधिकारी से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹2.98 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 23/2024 दिनांक 29.08.2024 की अनुपालना में उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 03/2023 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹2,97,500.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण

किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा व नियम अनुसार ही विज्ञापन दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹6.09 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 23/2024 दिनांक 29.08.2024 की अनुपालना में उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 03/2023 व 02/2024 के वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹6,09,122.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि आकस्मिकता एवं समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर

का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अत: क्रय किये गये प्रत्येक सामान का समुचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.10 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत पैरा क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 03/2023 व 02/2024 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु कुल राशि **₹80,094.00** का भुगतान किया गया था जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण राशि **₹10,012.00** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ज "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी व आपूर्तिकर्ता से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से की जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से

संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.15 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.20218 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 03/2023 व 02/2024 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के वित्त वर्ष 2022-23 में कुल राशि **₹7,49,727.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹14,995.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " झ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से

जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों/निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.6 आपूर्तिकर्ता को पार्क एवं व्यायामशाला हेतु उपकरणों के क्रय हेतु निविदा अनुसार अनुमोदित दर से अधिक दर पर राशि ₹2.08 लाख का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/हार जलाड़ी दिनांक 03.09.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 63 दिनांक 03.09.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार एवं व्यय हेतु चयनित माह 03/2023 व 02/2024 के बिल एवं वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता (**Sun-Shine Concrete Works**) को पार्क एवं व्यायामशाला हेतु उपकरणों के क्रय हेतु निविदा में अंकित दर से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण राशि **₹2,08,400.00** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ञ"** में संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण

को बताया गया कि बिल/वाउचरों एवं निविदा की गहनता से पड़ताल करने पर त्रुटि स्वीकारी जाती है व अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा एवं इस प्रकार की त्रुटि भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि को आगामी उच्च विभागीय अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.7 वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण हेतु क्रय पौधों का हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की पौधों की बिक्री हेतु अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.49 लाख का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 23/2024 दिनांक 29.08.2024 की अनुपालना में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार पाया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत पौधरोपण हेतु पौधों का क्रय हि० प्र० बागवानी विभाग को प्राथमिकता दिए बिना खुले बाजार से न्यूनतम निविदा दर के आधार पर आपूर्तिकर्ता को कुल राशि **₹67,260.00** का अनियमित भुगतान किया गया था, परिणामस्वरूप हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की पौधों की बिक्री हेतु अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को राशि **₹49,440.00** का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान पाया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "ट"** में संलग्न है। अगर पौधों की खरीद हि० प्र० बागवानी विभाग से की जाती तो सरकारी विभाग को आय होती एवं ग्राम पंचायत को राशि **₹17820** की बचत होती जिसे ग्राम पंचायत किसी अन्य विकास कार्य में इस्तेमाल कर सकती थी। इसके अलावा निदेशक एवं आयुक्त (मनरेगा), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक SMS-1/2022-23/RDD-BA-plantation-6165-6200 दिनांक 14.08.2024 द्वारा भी

निर्देश जारी किए गये कि पौधों की खरीद हेतु संबंधित सहायक निदेशक बागवानी विभाग या स्थानीय बागवानी अधिकारी से तकनीकी परामर्श एवं सिफारिश उपरांत विभागीय नर्सरी/ पंजीकृत नर्सरी को प्राथमिकता दी जाये।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि पंचायत द्वारा पौधों की खरीद निविदाओं के आधार पर की गई थी व भविष्य में पौधों की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

अतः इस वित्तीय अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अतिरिक्त/अधिक भुगतान की उचित स्रोत से वसूली करना सुनिश्चित करें। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में पौधारोपण से पूर्व संबंधित सहायक निदेशक बागवानी विभाग या स्थानीय बागवानी अधिकारी से तकनीकी परामर्श एवं सिफारिश ली जाये व तदोपरान्त हि० प्र० बागवानी विभाग की विभागीय नर्सरी/ पंजीकृत नर्सरी से पौधों की खरीद को प्राथमिकता दी जाये।

8.8 अग्रिम राशि ₹0.47 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और व्यय हेतु चयनित माह 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कारपोरेशन) रानीताल को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹46,726.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ठ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कारपोरेशन) रानीताल को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.9 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.25 लाख के व्यय करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संक्रर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही **₹25,118.00** का व्यय किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट " ड "** पर संलग्न है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्वः-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी भुगतान कार्यालय व्यय हेतु किए गये थे व अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में प्राप्त आय को सर्वप्रथम बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाएगा

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9. मस्टर रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे :-

9.1 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹2.11 लाख के मस्टर रोलों को भुगतान हेतु पारित न करना, निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्टर रोल का भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्टर रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं, नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार मस्टर रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन करवाना प्रावधित है व नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्टर रोलों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹2,11,354.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ढ़ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को आश्वासन दिया कि भविष्य में मस्टर रोलों का भुगतान प्रतिपादित नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्यों के मस्टर रोल में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित

विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.006 लाख की वसूली बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹600.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/हार जलाड़ी दिनांक 31.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 60 दिनांक 03.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि खाता बैंक संख्या 20033027050 में जमा करवा दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली गई राशि
1	श्री मनीष	04.12.2022	27.12.2022	0445142	03.09.2024	₹ 200.00
2	श्री अमित कुमार	22.10.2023	16.11.2023	0445143	03.09.2024	₹ 200.00
3	श्री सुरेन्द्र कुमार	07.03.2024	19.03.2024	0445144	03.09.2024	₹ 200.00

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली से संबंधित रसीदों एवं बैंक पास बुक के अवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

10.4 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि **₹5,400.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/हार जलाड़ी दिनांक 31.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर

क्रमांक 60 दिनांक 03.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है तथा लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन (leakage) एवं दुर्विनियोजन/दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता :-

क्र०सं०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**संदर्भित नियम**	**प्रारूप**
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
5.	बजट प्राक्कलन	37	11
6.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
7.	अनुदान रजिस्टर	61(1)	21
8.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30

9.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
10.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	---------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/हार जलाड़ी दिनांक 31.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 61 दिनांक 03.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/हार जलाड़ी दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 65 दिनांक 05.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में

नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/पृ०
5645-5649 22 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)320/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. सचिव, ग्राम पंचायत हार जलाड़ी विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

22 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/पृ०

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP HAAR JALARI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	35837.27	117280.67	153117.94	79157.61	73960.33
2023-24	73960.33	79198.00	153158.33	58885.04	94273.29

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1832135.93	5365732.00	7197867.93	4251627.13	2946240.80
2023-24	2946240.80	2169300.93	5115541.73	3723523.93	1392017.80

(Rajeev Kumar)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या "५(क)" के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP HAAR JALARI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5thSFC	2022-23	207512.00	359817.00	567329.00	455340.00	111989.00
		2023-24	111989.00	450198.00	562187.00	443762.00	118425.00
2	LDP	2022-23	0.00	950000.00	950000.00	366563.96	583436.04
		2023-24	583436.04	9422.00	592858.04	470409.00	122449.04
3	VKVNY	2022-23	0.00	70000.00	70000.00	9958.50	60041.50
		2023-24	60041.50	18650.00	78691.50	57684.00	21007.50
4	14th FC	2022-23	30005.67	1508.00	31513.67	31513.67	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	15th FC	2022-23	1594618.26	1568377.00	3162995.26	972221.00	2190774.26
		2023-24	2190774.26	406062.00	2596836.26	1466700.00	1130136.26
6	MGNREGA	2022-23	0.00	2416030.00	2416030.00	2416030.00	0.00
		2023-24	0.00	1284968.93	1284968.93	1284968.93	0.00

(Rajesh Kumar)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " ठी " पैरा संख्या "५(ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत हार जलाड़ी, वि०ख० कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176038

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (Own Source), 5वां राज्य वित्त (5th SFC),विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY) व स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LDP)	KCCB कांगड़ा	20033027050	188998.44	356154.83	356154.83
2		UBI दौलतपुर	498102010008827	167156.39		
3	14 वां वित्त आयोग (14th FC)	UBI दौलतपुर	498102010008081	0.00	0.00	0.00
4	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	HDFC कांगड़ा	50100365024220	1119317.26	1119317.26	1130136.26
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		0.00	0.00	0.00
		कुल योग		1475472.09	1475472.09	1486291.09

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	1486291.09
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	1475472.09
अंतर :-	10819.00

(Rajeev Kumar)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

28

34

(परिशिष्ट "घ" पैरा संख्या " 7 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत हार जलाड़ी, वि०ख० कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176038

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 तथा 2023-24 में 618 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 71,570.00	618	₹ 50.00	₹ 30,900.00	₹ 1,02,470.00	₹ 37,320.00	₹ 65,150.00
2023-24	₹ 65,150.00	618	₹ 50.00	₹ 30,900.00	₹ 96,050.00	₹ 32,470.00	₹ 63,580.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹63,580/-** है।						

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड कॉंगड़ा (हि०प्र०

29

35

परिशिष्ट " ङ ", पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान राशी ₹ 7.65 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	भुगतान राशी	फार्म X / फार्म Y
	अनुदान शीर्ष : स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LDP)								
1	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/2/01.09.2023	003/05-08-2023	SAND	8.08	cum	₹ 1,414.00	₹ 11,425.12	उपलब्ध नहीं है
2				AGGREGATE	8.83	cum	₹ 1,148.00	₹ 10,136.84	
3	SURESH KUMAR	P/3/17/11/2023	011/07.04.2023	SAND	711	Cft	₹ 40.00	₹ 28,440.00	उपलब्ध नहीं है
4				AGGREGATE	838	Cft	₹ 32.50	₹ 27,235.00	
5	SURESH KUMAR	P/8/27.02.2024	014/10.12.2023	SAND	400	Cft	₹ 52.00	₹ 20,800.00	उपलब्ध नहीं है
6				AGGREGATE	400	Cft	₹ 42.00	₹ 16,800.00	
	अनुदान शीर्ष : 5वां राज्य वित्त आयोग (5TH SFC)								
7	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/14/01.10.2023	380/04.03.2022	SAND	70	Cft	₹ 40.00	₹ 2,800.00	उपलब्ध नहीं है
8				AGGREGATE	110	Cft	₹ 32.50	₹ 3,575.00	
	अनुदान शीर्ष : सभा निधि (OWN SOURCES)								
9	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/33/27.02.2023	389/04.12.2020	AGGREGATE	395	Cft	₹ 38.00	₹ 15,010.00	उपलब्ध नहीं है
10				SAND	205	Cft	₹ 40.00	₹ 8,200.00	
11				BOULDER	71	Cft	₹ 30.00	₹ 2,130.00	
	अनुदान शीर्ष : 15 वां वित्त आयोग (15TH FC)								
12	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/2/16.04/2022	369/11.03.2022	BOULDER	500	Cft	₹ 30.00	₹ 15,000.00	
13	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/3/11.05.2022	377/06/04/2022	SAND	200	Cft	₹ 40.00	₹ 8,000.00	उपलब्ध नहीं है
14				AGGREGATE	400	Cft	₹ 32.50	₹ 13,000.00	
15	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/6/15.07.2022	379/30.04.2022	SAND	180	Cft	₹ 40.00	₹ 7,200.00	उपलब्ध नहीं है
16				AGGREGATE	360	Cft	₹ 32.50	₹ 11,700.00	
17	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/7/15.07.2022	378/13.04.2022	SAND	58	Cft	₹ 40.00	₹ 2,320.00	उपलब्ध नहीं है
18				AGGREGATE	114	Cft	₹ 32.50	₹ 3,705.00	
19				BOULDER	235	Cft	₹ 30.00	₹ 7,050.00	
20	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/22/19.01.2023	385/20.09.2022	SAND	3	Cum	₹ 1,414.00	₹ 4,242.00	उपलब्ध नहीं है
21				AGGREGATE	5.7	Cum	₹ 1,149.00	₹ 6,549.00	
22				BOULDER	6.49	Cum	₹ 1,060.00	₹ 6,879.00	
23	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/7/16.05.2023	396/17.03.2023	SAND	4.35	Cum	₹ 1,414.00	₹ 6,150.00	उपलब्ध नहीं है
24				AGGREGATE	8.17	Cum	₹ 1,149.00	₹ 9,387.00	
25				BOULDER	2.09	Cum	₹ 1,060.00	₹ 2,215.00	
26	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/9/16.05/2023	001/16.05.2023	SAND	10.11	Cum	₹ 1,414.00	₹ 14,295.00	उपलब्ध नहीं है
27				AGGREGATE	11	Cum	₹ 1,149.00	₹ 12,719.00	
28	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/13/05.06.2023	004/30.05.2023	SAND	9.25	Cft	₹ 40.00	₹ 370.00	उपलब्ध नहीं है
29				AGGREGATE	19.17	Cft	₹ 32.50	₹ 623.00	
30	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/17/05.06.2023	007/03.06.2023	BOULDER	900	Cft	₹ 30.00	₹ 27,000.00	
31	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/18/05.06.2023	006/29.04.2023	SAND	420	Cft	₹ 40.00	₹ 16,800.00	उपलब्ध नहीं है
32				AGGREGATE	880	Cft	₹ 32.50	₹ 28,600.00	
33	SURESH KUMAR	P/24/11.08.2023	008/06.08.2023	SAND	170	cft	₹ 40.00	₹ 6,800.00	उपलब्ध नहीं है
34				BAJRI	90	cft	₹ 32.50	₹ 2,925.00	
35				CUT STONE	1.35	Cum	₹ 1,600.00	₹ 2,160.00	
36	SURESH KUMAR	P/25/11.08.2023	009/06.08.2023	SAND	180	Cft	₹ 40.00	₹ 7,200.00	उपलब्ध नहीं है
37				BAJRI	320	Cft	₹ 32.50	₹ 10,400.00	
38				BOULDER	200	Cft	₹ 30.00	₹ 6,000.00	
39	SURESH KUMAR	P/56/27.03.2024	015/15.01.2024	AGGREGATE	4.2	Cum	₹ 1,838.00	₹ 7,719.00	उपलब्ध नहीं है
40				SAND	6.33	Cum	₹ 1,485.00	₹ 9,400.00	
41				STONE	2.6	Cum	₹ 1,060.00	₹ 2,750.00	
42	SURESH KUMAR	P/57/27.03.2024	016/08.01.2024	AGGREGATE	6.69	Cum	₹ 1,485.00	₹ 9,935.00	उपलब्ध नहीं है
43				SAND	3.94	Cum	₹ 1,838.00	₹ 7,242.00	
44				STONE	8.4	Cum	₹ 1,060.00	₹ 8,904.00	
45	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/58/27.03.2024	019/17/01/2024	AGGREGATE	1198	Cum	₹ 1,485.00	₹ 17,790.00	उपलब्ध नहीं है
46				SAND	7.21	Cum	₹ 1,838.00	₹ 13,251.00	
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)								
47	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/17.05.2022	449/15.5.2021	SAND	250	cft	₹ 38.10	₹ 9,525.00	उपलब्ध नहीं है
48				AGGREGATE	60	cft	₹ 36.19	₹ 2,171.40	
49				GST 5%			₹ 584.82	₹ 584.82	

50	NARENDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	Nil/17.05.2022	02/20.07.2021	SAND	190	cft	₹ 40.00	₹ 7,600.00	उपलब्ध नहीं है
51				AGGREGATE	400	cft	₹ 31.50	₹ 12,600.00	
52	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/21.05.2022	442/24.11.2021	AGGREGATE	830	cft	₹ 36.19	₹ 30,037.70	उपलब्ध नहीं है
53				GST 5%	1		₹ 1,501.89	₹ 1,501.89	
54	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/21.5.2022	443/24.11.2021	SAND	415	cft	₹ 38.10	₹ 15,811.50	उपलब्ध नहीं है
55				GST 5%	1		₹ 790.58	₹ 790.58	
56	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/17.05.2022	438/18.11.2021	SAND	600	cft	₹ 38.10	₹ 22,860.00	उपलब्ध नहीं है
57				GST 5%	1		₹ 1,143.00	₹ 1,143.00	
58	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/17.05.2022	439/18.11.2021	AGGREGATE	1250	cft	₹ 36.19	₹ 45,237.50	उपलब्ध नहीं है
59				GST 5%	1		₹ 2,261.88	₹ 2,261.88	
60	NARENDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	Nil/17.05.2022	03/02.08.2021	SAND	620	cft	₹ 40.00	₹ 24,800.00	उपलब्ध नहीं है
61				AGGREGATE	970	cft	₹ 31.50	₹ 30,555.00	
62	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/27.06.2022	279/25.11.2021	SAND	140	cft	₹ 40.00	₹ 5,600.00	उपलब्ध नहीं है
63				AGGREGATE	177	cft	₹ 38.00	₹ 6,726.00	
64	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/27.06.2022	445/25.08.2021	SAND	210	cft	₹ 38.10	₹ 8,001.00	उपलब्ध नहीं है
65				GST 5%	1		₹ 400.05	₹ 400.05	
66	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/27.06.2022	446/25.11.2021	AGGREGATE	350	cft	₹ 36.19	₹ 12,666.50	उपलब्ध नहीं है
67				GST 5%	1		₹ 633.33	₹ 633.33	
68	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/27.06.2022	447/24.11.2021	SAND	210	cft	₹ 38.10	₹ 8,001.00	उपलब्ध नहीं है
69				AGGREGATE	315	cft	₹ 36.19	₹ 11,399.85	
70				GST 5%	1		₹ 970.04	₹ 970.04	
71	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	NiL/27.06.2023	382/02.05.2022	SAND	480	cft	₹ 40.00	₹ 19,200.00	उपलब्ध नहीं है
72				AGGREGATE	660	cft	₹ 32.50	₹ 21,450.00	
							कुल जोड़	₹ 7,65,359.98	

(रणजीत कुमार)
रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड कांगड़ा (हि0प्र0)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशी ₹ 2.98 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी (Gstसहित)	टिप्पणी
	अनुदान शीर्ष : 15 वां वित्त आयोग							
1	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/32 DT 04.03.23	383/25.02.2023	AIR SWING	1	₹ 31,500.00	₹ 31,500.00	केवल एक निविदा प्रस्तुत की गई
2				SEE SAW SINGLE	1	₹ 7,500.00	₹ 7,500.00	
3	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/33 DT 04.03.23	384/25.02.2023	MERRY GO AROUND	1	₹ 34,500.00	₹ 34,500.00	निविदा प्रस्तुत नहीं की गई
4	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/36 DT 04.03.23	387/25.02.2023	MONKEY BAR	1	₹ 26,500.00	₹ 26,500.00	केवल दो निविदा प्रस्तुत की गई
5	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/37 DT 04.03.23	388/25.02.2023	BICYCLE	1	₹ 29,000.00	₹ 29,000.00	
6	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/38 DT 04.03.23	389/25.02.2023	ABDOMINAL BOARD DOUBLE	1	₹ 29,500.00	₹ 29,500.00	केवल एक निविदा प्रस्तुत की गई
7	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/39 DT 04.03.23	391/25.02.2023	SHOULDER CHEST TRAINER	1	₹ 44,500.00	₹ 44,500.00	केवल एक निविदा प्रस्तुत की गई
8	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/23 DT 28.01.23	336/05.01.2023	AIR SWING	1	₹ 31,500.00	₹ 31,500.00	केवल एक निविदा प्रस्तुत की गई
9				SEE SAW SINGLE	1	₹ 7,500.00	₹ 7,500.00	
10	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/27 DT 28.01.23	340/05.01.2023	MONKEY BAR	1	₹ 26,500.00	₹ 26,500.00	केवल दो निविदा प्रस्तुत की गई
11	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/28 DT 28.01.23	341/05.01.2023	BICYCLE	1	₹ 29,000.00	₹ 29,000.00	
						कुल जोड़	₹ 2,97,500.00	

Rajan Lakhi
Technical Assistant
Gram Panchayat
Development Block Kangra (HP)

32

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "6", पैरा संख्या "8.3" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी द्वारा विभिन्न अनुदानों से क्रय की गई राशी ₹6.09 लाख की सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम (बिल के अनुसार)	मात्रा	Deno	भुगतान की गई दर	भुगतान की गई राशी
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा							
1	DHANOTIA ENTERPRIES	Nil/11.01.2023	090/09.09.2022	MANGO GRAFTED PLANT	10	Nos.	₹ 180.00	₹ 1,800.00
2				BHERA PLANT	19	Nos.	₹ 150.00	₹ 2,850.00
3				HARD PLANT	10	Nos.	₹ 150.00	₹ 1,500.00
4				APPLE GRAFTED PLANT	15	Nos.	₹ 220.00	₹ 3,300.00
5				AMBLA PLANT	20	Nos.	₹ 150.00	₹ 3,000.00
6				LASIARA PLANT	15	Nos.	₹ 190.00	₹ 2,850.00
7				MOSSAMI PLANT	10	Nos.	₹ 180.00	₹ 1,800.00
8	DHANOTIA ENTERPRIES	Nil/11.01.2023	085/09.09.2022	LEMON GRAFTED	40	Nos.	₹ 220.00	₹ 8,800.00
9				JACK FRUIT PLANT	3	Nos.	₹ 190.00	₹ 570.00
10	DHANOTIA ENTERPRIES	Nil/11.01.2023	089/09.09.2022	MANGO GRAFTED PLANT	15	Nos.	₹ 180.00	₹ 2,700.00
11				ORANGE GRAFTED PLANT	15	Nos.	₹ 180.00	₹ 2,700.00
12				LITCHI PLANT	13	Nos.	₹ 180.00	₹ 2,340.00
13				GUAVA GRAFTED PLANT	10	Nos.	₹ 160.00	₹ 1,600.00
14				MOSSAMI PLANT	10	Nos.	₹ 180.00	₹ 1,800.00
15				JACK FRUIT PLANT	10	Nos.	₹ 180.00	₹ 1,800.00
16	DHANOTIA ENTERPRIES	Nil/11.01.2023	086/09.09.2022	LEMON GRAFTED	30	Nos.	₹ 220.00	₹ 6,600.00
17				GACK FRUIT PLANT	20	Nos.	₹ 180.00	₹ 3,600.00
18				MANGO GRAFTED PLANT	10	Nos.	₹ 180.00	₹ 1,800.00
19	DHANOTIA ENTERPRIES	Nil/11.01.2023	091/09.09.2022	HARD PLANT	30	Nos.	₹ 150.00	₹ 4,500.00
20				BHERA PLANT	30	Nos.	₹ 150.00	₹ 4,500.00
21				AMBLA PLANT	30	Nos.	₹ 150.00	₹ 4,500.00
22				LEMON GRAFTED	15	Nos.	₹ 220.00	₹ 3,300.00
23				APPLE GRAFTED PLANT	10	Nos.	₹ 220.00	₹ 2,200.00
24				MOSSAMI PLANT	5	Nos.	₹ 180.00	₹ 900.00
25				JACK FRUIT PLANT	5	Nos.	₹ 180.00	₹ 900.00
26	DHANOTIA ENTERPRIES	Nil/11.01.2023	087/09.09.2022	HARD PLANT	20	Nos.	₹ 150.00	₹ 3,000.00
27				BHERA PLANT	10	Nos.	₹ 150.00	₹ 1,500.00
28				AMBLA PLANT	20	Nos.	₹ 150.00	₹ 3,000.00
29				LEMON GRAFTED	15	Nos.	₹ 220.00	₹ 3,300.00
30				APPLE GRAFTED PLANT	10	Nos.	₹ 220.00	₹ 2,200.00
31				JACK FRUIT PLANT	5	Nos.	₹ 180.00	₹ 900.00
32				MOSSAMI PLANT	5	Nos.	₹ 180.00	₹ 900.00
33				LASIARA PLANT	5	Nos.	₹ 190.00	₹ 950.00
34	DHANOTIA ENTERPRIES	Nil/11.01.2023	088/09.09.2022	HARD PLANT	30	Nos.	₹ 150.00	₹ 4,500.00
35				BHERA PLANT	30	Nos.	₹ 150.00	₹ 4,500.00
36				AMBLA PLANT	25	Nos.	₹ 150.00	₹ 3,750.00
37				LEMON GRAFTED	15	Nos.	₹ 220.00	₹ 3,300.00
38				APPLE GRAFTED PLANT	15	Nos.	₹ 220.00	₹ 3,300.00
39				LASIARA PLANT	10	Nos.	₹ 190.00	₹ 1,900.00
40				GUAVA GRAFTED PLANT	10	Nos.	₹ 160.00	₹ 1,600.00
41	STAR NURSERY	Nil/21.05.2022	35/21.08.2021	TALI PLANT	81	Nos.	₹ 115.00	₹ 9,315.00
42	STAR NURSERY	Nil/21.05.2022	61/10.08.2021	GUAVA GRAFTED PLANT	12	Nos.	₹ 115.00	₹ 1,380.00
43				KATAL PLANT	8	Nos.	₹ 105.00	₹ 840.00
44				LASIARA PLANT	10	Nos.	₹ 115.00	₹ 1,150.00
45				ANAR PLANT	20	Nos.	₹ 105.00	₹ 2,100.00
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग							
46	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/32 DT 04.03.23	383/25.02.2023	AIR SWING	1	Nos.	₹ 31,500.00	₹ 31,500.00
47				SEE SAW SINGLE	1	Nos.	₹ 7,500.00	₹ 7,500.00
48	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/33 DT 04.03.23	384/25.02.2023	MERRY GO AROUND	1	Nos.	₹ 34,500.00	₹ 34,500.00

49	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/34 DT 04.03.23	385/25.02.2023	FIBER DUST BIN	1	Nos.	₹ 6,100.00	₹ 6,100.00
50				SLIDER 10 FEET	1	Nos.	₹ 27,400.00	₹ 27,400.00
51	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/35 DT 04.03.23	386/25.02.2023	SWING DOUBLE SEAT	1	Nos.	₹ 25,900.00	₹ 25,900.00
52	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/36 DT 04.03.23	387/25.02.2023	MONKEY BAR	1	Nos.	₹ 26,500.00	₹ 26,500.00
53	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/37 DT 04.03.23	388/25.02.2023	BICYCLE	1	Nos.	₹ 29,000.00	₹ 29,000.00
54	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/38 DT 04.03.23	389/25.02.2023	ABDOMINAL BOARD DOUBLE	1	Nos.	₹ 29,500.00	₹ 29,500.00
55	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/39 DT 04.03.23	390/25.02.2023	AIR WALKER	1	Nos.	₹ 27,400.00	₹ 27,400.00
56	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/39 DT 04.03.23	391/25.02.2023	SHOULDER CHEST TRAINER	1	Nos.	₹ 44,500.00	₹ 44,500.00
57	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/23 DT 28.01.23	336/05.01.2023	AIR SWING	1	Nos.	₹ 31,500.00	₹ 31,500.00
58				SEE SAW SINGLE	1	Nos.	₹ 7,500.00	₹ 7,500.00
59				FIBER DUST BIN	1	Nos.	₹ 6,100.00	₹ 6,100.00
60	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/24 DT 28.01.23	337/05.01.2023	MERRY GO AROUND	1	Nos.	₹ 34,500.00	₹ 34,500.00
61	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/25 DT 28.01.23	338/05.01.2023	SLIDER 10 FEET	1	Nos.	₹ 27,400.00	₹ 27,400.00
62	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/26 DT 28.01.23	339/05.01.2023	SWING DOUBLE SEAT	1	Nos.	₹ 25,900.00	₹ 25,900.00
63	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/27 DT 28.01.23	340/05.01.2023	MONKEY BAR	1	Nos.	₹ 26,500.00	₹ 26,500.00
64	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/28 DT 28.01.23	341/05.01.2023	BICYCLE	1	Nos.	₹ 29,000.00	₹ 29,000.00
		अनुदान शीर्ष : सभा निधि						
65	ARUN & BROTHERS ELECTRONICS	OWN/2023-24/P/39 DT 07.03.2024	3150/06.03.2024	PVC WIRE 10mm	60	Mtr	₹ 22.00	₹ 1,320.00
66	BATIAL ENTERPRISES	OWN/2023-24/P/42 DT 22.03.2024	495/18.03.2024	6 WAY S/D	1	Nos.	₹ 480.00	₹ 480.00
67				6 AMP AWITCH	4	Nos.	₹ 25.00	₹ 100.00
68				SOCKET	3	Nos.	₹ 40.00	₹ 120.00
69				16 AMP	1	Nos.	₹ 120.00	₹ 120.00
70				20 AMP	1	Nos.	₹ 110.00	₹ 110.00
71				MCB 16 AMP	4	Nos.	₹ 190.00	₹ 760.00
72				DP 40 AMP	1	Nos.	₹ 430.00	₹ 430.00
73				T/R	1		₹ 17.00	₹ 17.00
74				40 WATT BATTON	1		₹ 690.00	₹ 690.00
75				9 WATT BATTON	2		₹ 100.00	₹ 200.00
76				20 WATT BATTON	1		₹ 280.00	₹ 280.00
77				2.5 mm	20	Mtr	₹ 35.00	₹ 700.00
							कुल जोड़	₹ 6,09,122.00

(रोहित कुमार)
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत हार-जलाडी
विकास खण्ड कांगड़ा (हि0प्र0)

Technical Assistant
Gram Panchayat

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाडी
विकास खण्ड काँगडा (हि०प्र०)

34

40

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.4 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना अनुसार पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशी ₹ 0.10 लाख का अधिक/ अनियमित भुगतान करने बारे

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	भुगतान राशी	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
	अनुदान शीर्ष : सभा निधि (OWN SOURCES)									
1	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/33/27.02.2023	389/04.12.2020	BOULDER	71	Cft	₹ 30.00	₹ 2,130.00	12.5 %	₹ 266.25
	अनुदान शीर्ष : 15 वां वित्त आयोग (15TH FC)									
2	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/2/16.04/2022	369/11.03.2022	BOULDER	500	Cft	₹ 30.00	₹ 15,000.00	12.5 %	₹ 1,875.00
3	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/7/15.07.2022	378/13.04.2022	BOULDER	235	Cft	₹ 30.00	₹ 7,050.00	12.5 %	₹ 881.25
4	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/22/19.01.2023	385/20.09.2022	BOULDER	6.49	Cum	₹ 1,060.00	₹ 6,879.00	12.5 %	₹ 859.88
5	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/7/16.05.2023	396/17.03.2023	BOULDER	2.09	Cum	₹ 1,060.00	₹ 2,215.00	12.5 %	₹ 276.88
6	M/S SURJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	P/17/05.06.2023	007/03.06.2023	BOULDER	900	Cft	₹ 30.00	₹ 27,000.00	12.5 %	₹ 3,375.00
7	SURESH KUMAR	P/24/11.08.2023	008/06.08.2023	CUT STONE	1.35	Cum	₹ 1,600.00	₹ 2,160.00	12.5 %	₹ 270.00
8	SURESH KUMAR	P/25/11.08.2023	009/06.08.2023	BOULDER	200	Cft	₹ 30.00	₹ 6,000.00	12.5 %	₹ 750.00
9	SURESH KUMAR	P/56/27.03.2024	015/15.01.2024	STONE	2.6	Cum	₹ 1,060.00	₹ 2,756.00	12.5 %	₹ 344.50
10	SURESH KUMAR	P/57/27.03.2024	016/08.01.2024	STONE	8.4	Cum	₹ 1,060.00	₹ 8,904.00	12.5 %	₹ 1,113.00
					कुल जोड़ (R/Off)			₹ 80,094.00		₹ 10,012.00

Rajan Walia

Rajender

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

(संजीव कुमार)
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट " झ ", पैरा संख्या " 8.5 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी द्वारा अपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशी ₹ 0.15 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	कुल राशि	जी.एस.टी. टी.डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	Sun-Shine Concrete Works, Near Utsav Palace, NH-154, Kachhiari Kangra GST No. **02AXDPS9847D1ZC**	Air Swing, See Saw Single, Merry-go-Around, Hanging Bar, Fiber Dustbin, Slider 10 ft, Swing Double Seat, Monkey Bar, Bicycle, Abdominal board Double, Air Walker, Shoulder Chest Trainer	₹ 4,38,682.00	2%	₹ 8,773.64
2	2022-23	M/S Surjeet Singh Govt. Contractor, V.P.O Jalari, Kangra GST No. **02BSWPS9576A1Z6**	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Tractor Carriage of Boulder and Shuttering	₹ 3,11,045.00	2%	₹ 6,220.90
			Total (R/Off)	**₹ 7,49,727.00**	2%	**₹ 14,995.00**

NOTE:-

1. Amount considered for calculation of G.S.T. T.D.S. is excluding G.S.T. paid.

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड कांगड़ा (हि०प्र०)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

Rajeev Kumar

36

परिशिष्ट " 3 ", पैरा संख्या " 3.6 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी द्वारा आपूर्तिकर्ता को क्रय की गई सामग्री हेतु निविदा अनुसार अनुमोदित दर से अधिक दर पर राशि ₹ 2.08 लाख का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान करने का विवरण

अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	भुगतान की गई दर	भुगतान की गई राशी	निविदा अनुसार अनुमोदित दर	निविदा अनुसार भुगतान योग्य राशि	अतिरिक्त / अनियमित भुगतान की गई राशि
1	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/32 DT 04.03.23	383/25.02.2023	AIR SWING	1	₹ 31,500.00	₹ 31,500.00	₹ 15,500.00	₹ 15,500.00	₹ 16,000.00
2				SEE SAW SINGLE	1	₹ 7,500.00	₹ 7,500.00	₹ 4,500.00	₹ 4,500.00	₹ 3,000.00
3	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/33 DT 04.03.23	384/25.02.2023	MERRY GO AROUND	1	₹ 34,500.00	₹ 34,500.00	₹ 22,000.00	₹ 22,000.00	₹ 12,500.00
4	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/34 DT 04.03.23	385/25.02.2023	FIBER DUST BIN	1	₹ 6,100.00	₹ 6,100.00	₹ 4,200.00	₹ 4,200.00	₹ 1,900.00
5				SLIDER 10 FEET	1	₹ 27,400.00	₹ 27,400.00	₹ 15,150.00	₹ 15,150.00	₹ 12,250.00
6	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/35 DT 04.03.23	386/25.02.2023	SWING DOUBLE SEAT	1	₹ 25,900.00	₹ 25,900.00	₹ 18,000.00	₹ 18,000.00	₹ 7,900.00
7	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/36 DT 04.03.23	387/25.02.2023	MONKEY BAR	1	₹ 26,500.00	₹ 26,500.00	₹ 15,550.00	₹ 15,550.00	₹ 10,950.00
8	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/37 DT 04.03.23	388/25.02.2023	BICYCLE	1	₹ 29,000.00	₹ 29,000.00	₹ 13,500.00	₹ 13,500.00	₹ 15,500.00
9	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/38 DT 04.03.23	389/25.02.2023	ABDOMINAL BOARD DOUBLE	1	₹ 29,500.00	₹ 29,500.00	₹ 16,000.00	₹ 16,000.00	₹ 13,500.00
10	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/39 DT 04.03.23	390/25.02.2023	AIR WALKER	1	₹ 27,400.00	₹ 27,400.00	₹ 14,000.00	₹ 14,000.00	₹ 13,400.00
11	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/39 DT 04.03.23	391/25.02.2023	SHOULDER CHEST TRAINER	1	₹ 44,500.00	₹ 44,500.00	₹ 23,000.00	₹ 23,000.00	₹ 21,500.00
12	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/23 DT 28.01.23	336/05.01.2023	AIR SWING	1	₹ 31,500.00	₹ 31,500.00	₹ 15,500.00	₹ 15,500.00	₹ 16,000.00
13				SEE SAW SINGLE	1	₹ 7,500.00	₹ 7,500.00	₹ 4,500.00	₹ 4,500.00	₹ 3,000.00
14				FIBER DUST BIN	1	₹ 6,100.00	₹ 6,100.00	₹ 4,200.00	₹ 4,200.00	₹ 1,900.00
15	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/24 DT 28.01.23	337/05.01.2023	MERRY GO AROUND	1	₹ 34,500.00	₹ 34,500.00	₹ 22,000.00	₹ 22,000.00	₹ 12,500.00
16	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/25 DT 28.01.23	338/05.01.2023	SLIDER 10 FEET	1	₹ 27,400.00	₹ 27,400.00	₹ 15,150.00	₹ 15,150.00	₹ 12,250.00
17	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/26 DT 28.01.23	339/05.01.2023	SWING DOUBLE SEAT	1	₹ 25,900.00	₹ 25,900.00	₹ 18,000.00	₹ 18,000.00	₹ 7,900.00
18	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/27 DT 28.01.23	340/05.01.2023	MONKEY BAR	1	₹ 26,500.00	₹ 26,500.00	₹ 15,550.00	₹ 15,550.00	₹ 10,950.00
19	SUN-SHINE CONCRETE WORKS	XVFC/2022-23/P/28 DT 28.01.23	341/05.01.2023	BICYCLE	1	₹ 29,000.00	₹ 29,000.00	₹ 13,500.00	₹ 13,500.00	₹ 15,500.00
						कुल जोड़	₹ 4,78,200.00		₹ 2,69,800.00	₹ 2,08,400.00

Rajan Lohia

Technical Assistant
Gram Panchayat
Development Block Kangra (HP)

Rajeev Kumar

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

37

परिशिष्ट "ट", पैरा संख्या "8.7" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत पौधरोपण हेतु क्रय पौधों का हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.49 लाख का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान करने का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	भुगतान की गई दर	भुगतान की गई राशी	हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की अनुमोदित दर	हि० प्र० बागवानी विभाग की अनुमोदित दर भुगतान योग्य राशि	अंतर
1	DHANOTIA ENTERPRISES	Nil / 11.01.2023	090 / 09.09.2022	MANGO GRAFTED PLANT	10	₹ 180.00	₹ 1,800.00	₹ 60.00	₹ 600.00	₹ 1,200.00
2				AMBLA PLANT	20	₹ 150.00	₹ 3,000.00	₹ 55.00	₹ 1,100.00	₹ 1,900.00
3				MOSSAMI PLANT	10	₹ 180.00	₹ 1,800.00	₹ 50.00	₹ 500.00	₹ 1,300.00
4	DHANOTIA ENTERPRISES	Nil / 11.01.2023	085 / 09.09.2022	LEMON GRAFTED	40	₹ 220.00	₹ 8,800.00	₹ 45.00	₹ 1,800.00	₹ 7,000.00
5				JACK FRUIT PLANT	3	₹ 190.00	₹ 570.00	₹ 30.00	₹ 90.00	₹ 480.00
6	DHANOTIA ENTERPRISES	Nil / 11.01.2023	089 / 09.09.2022	MANGO GRAFTED PLANT	15	₹ 180.00	₹ 2,700.00	₹ 60.00	₹ 900.00	₹ 1,800.00
7				ORANGE GRAFTED PLANT	15	₹ 180.00	₹ 2,700.00	₹ 50.00	₹ 750.00	₹ 1,950.00
8				LITCHI PLANT	13	₹ 180.00	₹ 2,340.00	₹ 60.00	₹ 780.00	₹ 1,560.00
9				GUAVA GRAFTED PLANT	10	₹ 160.00	₹ 1,600.00	₹ 50.00	₹ 500.00	₹ 1,100.00
10				MOSSAMI PLANT	10	₹ 180.00	₹ 1,800.00	₹ 50.00	₹ 500.00	₹ 1,300.00
11				JACK FRUIT PLANT	10	₹ 180.00	₹ 1,800.00	₹ 30.00	₹ 300.00	₹ 1,500.00
12	DHANOTIA ENTERPRISES	Nil / 11.01.2023	086 / 09.09.2022	LEMON GRAFTED	30	₹ 220.00	₹ 6,600.00	₹ 45.00	₹ 1,350.00	₹ 5,250.00
13				GACK FRUIT PLANT	20	₹ 180.00	₹ 3,600.00	₹ 30.00	₹ 600.00	₹ 3,000.00
14				MANGO GRAFTED PLANT	10	₹ 180.00	₹ 1,800.00	₹ 60.00	₹ 600.00	₹ 1,200.00
15	DHANOTIA ENTERPRISES	Nil / 11.01.2023	091 / 09.09.2022	MOSSAMI PLANT	5	₹ 180.00	₹ 900.00	₹ 50.00	₹ 250.00	₹ 650.00
16				JACK FRUIT PLANT	5	₹ 180.00	₹ 900.00	₹ 30.00	₹ 150.00	₹ 750.00
17				AMBLA PLANT	30	₹ 150.00	₹ 4,500.00	₹ 55.00	₹ 1,650.00	₹ 2,850.00
18				LEMON GRAFTED	15	₹ 220.00	₹ 3,300.00	₹ 45.00	₹ 675.00	₹ 2,625.00
19	DHANOTIA ENTERPRISES	Nil / 11.01.2023	087 / 09.09.2022	AMBLA PLANT	20	₹ 150.00	₹ 3,000.00	₹ 55.00	₹ 1,100.00	₹ 1,900.00
20				LEMON GRAFTED	15	₹ 220.00	₹ 3,300.00	₹ 45.00	₹ 675.00	₹ 2,625.00
21				JACK FRUIT PLANT	5	₹ 180.00	₹ 900.00	₹ 30.00	₹ 150.00	₹ 750.00
22				MOSSAMI PLANT	5	₹ 180.00	₹ 900.00	₹ 50.00	₹ 250.00	₹ 650.00
23	DHANOTIA ENTERPRISES	Nil / 11.01.2023	088 / 09.09.2022	AMBLA PLANT	25	₹ 150.00	₹ 3,750.00	₹ 55.00	₹ 1,375.00	₹ 2,375.00
24				LEMON GRAFTED	15	₹ 220.00	₹ 3,300.00	₹ 45.00	₹ 675.00	₹ 2,625.00
25				GUAVA GRAFTED PLANT	10	₹ 160.00	₹ 1,600.00	₹ 50.00	₹ 500.00	₹ 1,100.00
						कुल जोड़	₹ 67,260.00		₹ 17,820.00	₹ 49,440.00

Technical Assistant
Gram Panchayat
Development Block Kangra (HP)

रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत हार-जलाड़ी
विकास खण्ड कांगड़ा (हि०प्र०)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ठ ", पैरा संख्या " 8.8 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी द्वारा सीमेंट क्रय हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹0.47 लाख समायोजन हेतु शेष का विवरण

अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं० / दिनांक	बिल० सं० (Proforma) / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशि GST सहित
1	हि०प्र०सिवल सप्लाई रानीताल	XVFC/2023-24/P/48	123281/23.02.2024	सीमेंट	35	₹ 383.00	₹ 13,405.00
2	हि०प्र०सिवल सप्लाई रानीताल	XVFC/2023-24/P/50	123282/23.02.2024	सीमेंट	35	₹ 383.00	₹ 13,405.00
3	हि०प्र०सिवल सप्लाई रानीताल	XVFC/2023-24/P/51	123278/23.02.2024	सीमेंट	52	₹ 383.00	₹ 19,916.00
4	हि०प्र०सिवल सप्लाई रानीताल	XVFC/2023-24/P/52	123279/23.02.2024	सीमेंट	55	₹ 383.00	₹ 21,065.00
						कुल जोड़	₹ 46,726.00

Rajeev Kumar
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ड ", पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना राशी ₹0.25 लाख का व्यय करने का विवरण

क्र०सं०	वा०सं०	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नहीं किया गया है	भुगतान की गई राशि
1	Own/2022-23/P/5	17.05.2022	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 702.00
2	Own/2022-23/P/6	17.05.2022	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 705.00
3	Own/2022-23/P/4	31.05.2022	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी	₹ 908.00
4	Own/2022-23/P/7	23.06.2022	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 647.00
5	Own/2022-23/P/12	29.09.2022	कार्यालय व्यय - 03 ताले	₹ 300.00
6	Own/2022-23/P/16	06.10.2022	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 377.00
7	Own/2022-23/P/21	14.12.2022	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 905.00
8	Own/2022-23/P/22	14.12.2022	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 707.00
9	Own/2022-23/P/23	15.12.2022	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 910.00
10	Own/2022-23/P/24	27.12.2022	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 721.00
11	Own/2022-23/P/25	31.12.2022	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 344.00
12	Own/2022-23/P/27	23.01.2023	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 721.00
13	Own/2022-23/P/32	17.02.2023	कार्यालय व्यय - चौकीदार वर्दी	₹ 1,680.00
14	Own/2022-23/P/30	20.02.2023	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 720.00
15	Own/2022-23/P/31	24.02.2023	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 966.00
16	Own/2022-23/P/35	17.03.2023	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 440.00
17	Own/2022-23/P/36	17.03.2023	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 707.00
18	Own/2023-24/P/5	06.05.2023	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 707.00
19	Own/2023-24/P/6	06.05.2023	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 465.00
20	Own/2023-24/P/9	24.07.2023	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 707.00
21	Own/2023-24/P/10	28.07.2023	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 809.00
22	Own/2023-24/P/14	31.07.2023	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 721.00
23	Own/2023-24/P/17	31.08.2023	कार्यालय व्यय - बिजली बिल	₹ 255.00
24	Own/2023-24/P/18	31.08.2023	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 721.00
25	Own/2023-24/P/27	09.11.2023	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 721.00
26	Own/2023-24/P/28	30.11.2023	कार्यालय व्यय - चौकीदार वर्दी	₹ 1,680.00
27	Own/2023-24/P/29	30.11.2023	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 721.00
28	Own/2023-24/P/30	20.12.2023	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 721.00
29	Own/2023-24/P/32	29.12.2023	कार्यालय व्यय - BDO कार्यालय	₹ 118.00
30	Own/2023-24/P/36	23.01.2024	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 721.00
31	Own/2023-24/P/40	26.02.2024	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 721.00
32	Own/2023-24/P/41	19.03.2024	कार्यालय व्यय - इंटरनेट बिल	₹ 720.00
33	Own/2023-24/P/42	22.03.2024	कार्यालय व्यय - जल पान	₹ 2,150.00
			कुल जोड़	**₹ 25,118.00**

40

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " ६ ", पैरा संख्या " ९.१ " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत हार जलाड़ी द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹2.11 लाख के मस्टर रोलों को भुगतान हेतु पारित न करना, निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्टर रोलों का भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	नि० गंदे पानी की निकासी समीप बृज लाल के घर से नालेह तक	8229	Nil/15.03.2023	₹ 10,176.00
2		8230	Nil/15.03.2023	₹ 2,332.00
3	नि० रास्ता खड्ड से कमाल सिंह की जमीन में	8039	Nil/15.03.2023	₹ 13,195.00
4		8231	Nil/15.03.2023	₹ 6,699.00
5		8232	Nil/15.03.2023	₹ 4,060.00
6	नि० वाटर हार्वेस्टिंग टैंक नजदीक GSS स्कूल हार जलारी	8040	Nil/15.03.2023	₹ 3,180.00
7		8233	Nil/15.03.2023	₹ 10,556.00
8	नि० तालाव वार्ड वार्ड 6	8041	Nil/15.03.2023	₹ 9,540.00
9		8042	Nil/15.03.2023	₹ 1,272.00
10		8234	Nil/15.03.2023	₹ 17,596.00
11		8235	Nil/15.03.2023	₹ 12,508.00
12	नि० पौधारोपण मेहर चंद/माहिया राम की जमीन में वार्ड 3	6681	Nil/07.02.2024	₹ 4,560.00
13	नि० पौधारोपण सवरूप/दलीप चंद की जमीन में वार्ड 6	6682	Nil/07.02.2024	₹ 6,000.00
14	नि० पौधारोपण केवल कुमार /रिखी राम की जमीन में वार्ड 6	6683	Nil/07.02.2024	₹ 14,640.00
15		6684	Nil/07.02.2024	₹ 960.00
16	लैंड स्लाइड नजदीक शक्ति सिंह घर के पास वार्ड 2	6421	Nil/21.02.2024	₹ 1,920.00
17	लैंड स्लाइड नजदीक प्रमोद सिंह /राम सहाई जमीन में वार्ड 1	6685	Nil/07.02.2024	₹ 11,520.00
18	नि० रास्ता हंस राज की जमीन से शमशान घाट की और	6793	Nil/07.02.2024	₹ 9,360.00
19		6794	Nil/07.02.2024	₹ 5,760.00
20	डिसिल्टिंग (गाद निकलना ,साफ सफाई) नजदीक गुग्गा मंदिर वार्ड 1	6686	Nil/07.02.2024	₹ 27,360.00
21		6687	Nil/07.02.2024	₹ 24,240.00
22		6688	Nil/07.02.2024	₹ 13,920.00
			कुल योग	**₹ 2,11,354.00**

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड कांगड़ा (हि०प्र०)

Technical Assistant
Gram Panchayat
Development Block Kangra (HP)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हार जलाड़ी
विकास खण्ड काँगड़ा (हि०प्र०)